

2/1/2018 ✓

III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 केम्प कालूड़ी
ग्राम पंचायत कालूड़ी के ग्रामों के प्रार्थीगणों के नाम शुध्द व सही संयुक्त आदेश बनाम
सरकार किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं....536..... से544.....सन् 2018

RCMS NO-----

आदेश दिनांक 11.06.2018

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान में अशुध्द नाम	शुध्द व सही नाम
1	536	कालूड़ी	31	चुनसिंह पुत्र देवीसिंह	चुन्नीलाल पुत्र देवीसिंह
2	537	कालूड़ी	108	माना पुत्र राणा	मानसिंह पुत्र राणसिंह
3	538	वरिया तगजी	81	पुना देवी पत्नि धुड़ाराम	पुनी देवी पत्नि धुड़ाराम
4	539	कालूड़ी	49	तुलसा पुत्र पुनमा	तुलछसिंह पुत्र पूनमसिंह
5	540	कालूड़ी	15	ऊतमा पुत्र सवा, काना पुत्र सवा	ऊतमसिंह पुत्र शिवसिंह, कानसिंह पुत्र शिवसिंह
6	541	कालूड़ी	106	माना पुत्र धोकला	मानसिंह पुत्र धोकलसिंह
7	542	कालूड़ी	86	बीजा पुत्र राणा	विजराजसिंह पुत्र राणसिंह

(भागीस्थ सम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा केम्प.....

8	543	सिमालिया	48	जेरसिंह पुत्र कानसिंह	जोधसिंह पुत्र कानसिंह
9	544	कालूड़ी	126	जालाराम पुत्र देराजराम	जालाराम पुत्र हेराजराम

आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है। निर्णय सभी पत्रावली में संलग्न होकर

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

क्रमांक-न्याय/2018/1075-1076
प्रतिलिपि -

दिनांक 11.06.2018

1. तहसीलदार ..पचपदरा.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(~~भीमरथी राम~~) अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्राबाद कोर्ट कैम्प-2018
उपस्थान्त अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....
कोर्ट